Department Details:	
Department Name	DG Jail Department
Department Type	State Government Department
Procuring Entity Name:	Mr. Jagdish Poonia
Procuring Entity Contact:	Email: jail-trg-rj[at]nic[dot]in, Mobile: 9079750162
Office Address:	JAIL TRAINING INSTITUTE, GHOOGHARA , JAIPUR ROAD, AJMER, Ajmer, (Ajmer), PIN:305 023, Landline No.:01452787173, Fax No.:01452787173

NIB Details:	
NIB Code	**JLD2627A0041**
NIB Reference no	621-28
NIB Publish Date	29/05/2026
NIB Published Bids	1 / 1
NIB Document	[English n हिन्दी] 405.86 KB
NIB Financial Year	2026 - 2027

Bid Details:	
UBN	**JLD2627SSLB00067**
Bid Title	sweaper work
Bid Type	Services
Bid Sub Type	Cleaning and Sanitary Services
Bid Pattern	Limited Bidding
Bid Amount	₹110000.00
Bid Required in Cover(s)	1
Bid Document	[English n हिन्दी] 6.87 MB
First Appeal Hearing Authority	Addl Director General of Police
Second Appeal Hearing Authority	Director General of Police
Critical Dates:	
Bid Uploaded Date	29/05/2026
Bid Publish Date	29/05/2026
Bid Submission End Date	05/06/2026
Bid Open Date	05/06/2026

।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

क्रमांकः लेखा / 2026 / 621-28 दिनांकः 29/05/26

–: सीमित बोली आमंत्रण सूचना संख्या 04 / 2026 :–

इस संस्थान हेतु वित्त वर्ष 2026–27 के लिये शौचालयों एवं परिसर की दैनिक साफ–सफाई हेतु मानव श्रम आपूर्ति जिसकी अनुमानित व्यय 1.10 लाख वार्षिक संभावित हेतु पंजिकृत संवेदकों से अपनी मोहर बन्द निविदा दिनांक 05.06.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक संस्थान कार्यालय पर प्रस्तुत किये जाने हेतु आमंत्रित की जाती है। जिन्हें इसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दोपहर 03:30 बजे खोली जायेगी निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्ते विभागीय वैब साईट " https://jail.rajasthan.gov.in " एवं sppp पोर्टल " http://sppp.raj.nic.in " पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

UBN JLD2627SLLB00067
NIB Code JLD2627A0041

प्राचार्य

क्रमांकः लेखा / 2026 / दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान महानिदेशक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान उप महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर को स्वीकृति क्रमांक राजकाज नं. 21746962 दिनांक 22.04.2026 के क्रम में वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।
3. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोगामर महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को जरिये ई–मेल प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना का नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
5. श्री राकेश मुवाल, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना का **sppp** पोर्टल पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का श्रम करें।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, जिला कलक्टर, उच्च सुरक्षा कारागार तथा केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर चस्पा कर वास्ते व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. उपापन समिति सदस्य श्री .... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहकर उपापन प्रक्रिया संपादित करावे।
8. आदेश पत्रावली।

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

|| कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ||

क्रमांकः लेखा/2026/621-28 दिनांकः 29/05/26

–: सीमित बोली आमंत्रण सूचना संख्या 04/2026 :–

इस संस्थान परिसर में स्थित विभिन्न हॉस्टलों, प्रशासनिक भवन व अन्य प्रयोजनार्थ निर्मित भवनों के शौचालयों व कक्षा कक्ष तथा कन्य कक्षों, गैलेरी इत्यादि की दैनिक साफ सफाई हेतु एक मानव श्रम आपूर्ति का कार्य वित्त वर्ष 2026–27 हेतु वांछनीय है। अतः सेवा प्रदाता फर्म, ऐजेन्सी, संस्था (जो कि पंजीकृत हो) अपनी मोहर बन्द निविदा दिनांक 05.06.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक संस्थापन परिसर स्थित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। जिन्हे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष उक्त तिथि को ही दोपहर 03:30 बजे खोली जायेगी। निविदा से संबंधित समस्त जानकारी, नियम व शर्ते तथा निविदा प्रपत्र इत्यादि को विभागीय वैब साईट "https://jail.rajasthan.gov.in" एवं sppp पोर्टल"http://sppp.raj.nic.in " पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

UBN JLD2627ASLB00067

NIB Code JLD2627A0041

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

क्रमांकः लेखा/2026/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान महानिदेशक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान उप महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर को स्वीकृति क्रमांक राजकाज नं. 21746962 दिनांक 22.04.2026 के क्रम में वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।
3. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोगामर महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को जरिये ई–मेल प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना का नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
5. श्री राकेश मुवाल, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना का **sppp** पोर्टल पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का श्रम करें।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, जिला कलक्टर, उच्च सुरक्षा कारागार तथा केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर चस्पा कर वास्ते व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. उपापन समिति सदस्य श्री .... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहकर उपापन प्रक्रिया संपादित करावे।
8. आदेश पत्रावली।

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

निविदा प्रपत्र

1. उपापन संस्था का नाम :– प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर
2. उपापन कार्य का विवरण :–स्वीपर की जॉब बेसिस सेवा आपूर्ती कार्य
3. अनुमानित लागत :– 1.10 लाख
4. उपापन अवधि :– वित्तीय वर्ष 2026–27 (मई 2026 से मार्च 2027 तक)
5. सीमित बोली सूचना संख्या :– 04/2026/लेखा/..................... दिनांक..................
6. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/संस्था का पूरा नाम व पता :–..
7. निविदादाता का प्रकार :– फर्म/सेवा प्रदाता एजेन्सी/साझेदारी फर्म/एन.जी.ओ/कम्पनी(उपयुक्त पर सही (✓) का निशान लगावें)
8. निविदादाता का मोबाइल नं. :– ....
   टेलीफोन नम्बर :– ....
9. निविदादाता की ईमेल आई डी :–..
10. निविदादाता के विभ्न्नि पंजीकरणों का विवरण

क. सं	प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का प्रकार एवं विवरण	पंजीकरण हां/नही	जारी होने की तिथि/वैधता अवधि	संलग्न पृष्ठ का क्रम सं.
1 A	**फर्म/ संस्था के पंजीकरणों का विवरण** राज अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970			
B	कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948			
C	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
D	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			
E	इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932			
F	इंडियन कम्पनी एक्ट 1956			
G	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958			
H	आयकर (पेन नम्बर)			
I	एम.एस.एम.ई. पंजीकरण			
2 A	गत तीन वर्षों की आयकर रिर्टन प्रति (वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25)			
B	**एनेक्सचर –1:–संलग्न करना** (गत तीन वित्तीय वर्षों का वार्षिक न्यूनतम 1 लाख या इससे अधिक का टर्नओवर का प्रमाण पत्र सीए द्वारा जारी)			

C	गत वर्षों में ब्लैक लिस्टेड होने संबंधी घोषणा पत्र (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) नोटेरी द्वारा प्रमाणित			
D	**परिशिष्ठ 1,2 व 3 एवं ABCD**			
E	**बैंक खाते का विवरण** खाते धारक संस्था/फर्म का पूरा नाम			
	बैंक का नाम व शाखा का नाम			
	बैंक खाता संख्या			
	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड			
F	गत वर्षों में फर्म/संस्था द्वारा किसी राजकीय कार्यालय/निगम/बोर्ड में श्रम आपूर्ती की हो, के साक्ष्य स्वरूप कार्यादेश प्रति/संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें।			

उक्त के अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जा रहे है।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

हस्ताक्षर
निविदादाता मय मोहर

मैं/हम कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में वर्णित विभिन्न प्रकार के पंजीकरणों में मेरी/ऐजेन्सी/हमारी फर्म/संस्था पंजीकृत है जिनके प्रमाण स्वरूप पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां उनके सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या पर संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं तथा समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई हैं, सभी दस्तावेज वैधानिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली निविदा प्रकिया के किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे एवं इसके लिए संस्थान/विभाग किसी भी स्तर पर, किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी बोली/अनुबन्ध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा। इस निविदा हेतु लागू नियम व शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर समझ लिया है, जिनसे मैं/हम सहमत होना स्वीकार करते हैं, तथा उनका पूर्ण पालन करने हेतु बाध्य हैं। सहमति व स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

हस्ताक्षर
निविदादाता मय मोहर

।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

वित्तीय बिड

संवेदक द्वारा अपनी निविदा दर निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी

क्र. सं.	जॉब बेसिस कार्य की प्रकृती व वांछित कामगार	श्रमिक की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	EPF की दर 13% से राशि	ESI की दर 3.25% से राशि	कुल राशि (कॉलम सं.4,5,6 योग)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा कर का प्रतिशत व राशि तथा अंतिम प्रस्तुत दर		
							सेवा शुल्क दर (प्रतिशत में) (दर %)	सेवा शुल्क राशि(कॉलम 8 में अंकित दर प्रतिशत के अनुसार)	अंतिम प्रस्तुत दर कॉलम सं. 7 व 9 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	स्वीपर–1 (पुरूष)	अकुशल	7410/–	963/–	241/–	8614/–			

(कॉलम 10 में दर्षित राशि शब्दों में) अक्षरे रूपये...

1. GST नियमानुसार पृथक से देय होगा। (यदि लागू हो)
2. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क का प्रतिशत में शून्य दर स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
3. श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन पर लागू तिथि से बढ़ी हुई दर पर भुगतान किया जा सकेगा।
4. **L-1** का निर्धारण कॉलम संख्या 7 व 9 के योग कॉलम संख्या 10 में वर्णित दर के आधार पर किया जायेगा अतः संवेदक को कॉलम संख्या 8,9 व 10 की पूर्ति करना अनिवार्य है।
5. सेवा शुल्क समान रहने की दशा में संस्था हित तथा संवेदक की क्षमता के मध्यनजर युक्तियुक्त दर अनुसार निर्णय किया जायेगा।
6. उक्त बिंदु के कॉलम संख्या 8,9 व 10 के अतिरिक्त अन्य किसी भी जगह अपनी निविदा दर अंकित/प्रदर्शित नहीं करेंगे।

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

–: जॉब बेसिस पर स्वीपर की सेवा आपूर्ति के कार्य हेतु बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्तेः–

1. **पात्रताः–** बोलीदाता फर्म/संस्था का श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा विभाग, जी.एस.टी., आयकर, इत्यादी में पंजिकृत होना आवश्यक है।
2. **निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रियाः–** निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक बोलीदाता कार्यालय से निशुल्क निविदा प्रपत्र प्राप्त कर/sppp पोर्टल से डाउनलोड कर तथा उसे भरकर मोहरबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि व समय तक संस्थान कार्यालय को भौतिक रूप से प्रस्तुत कर सकते है।
3. संवेदक को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा आप द्वारा संलग्न समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।
4. उक्त के अलाव परिशिष्ठ 1,2 व 3 एवं ABCD जो की निविदा प्रपत्र के संलग्न है भरकर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की पूर्ण पालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
6. संवेदक द्वारा नियोजित कामगार को उसकी मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से कामगार के बैंक खाते में ही किया जायेगा तथा इसकी पुष्ठि हेतु संस्थान संवेदक से नियोजित कामगार के बैंक खाते में जमा करायी गयी राशि का बैंक विवरण की मांग करने पर संवेदक को बैंक विवरण की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संबंधित श्रमिक को करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
8. श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना के तहत समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्थान द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
9. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार उनके द्वारा नियोजित श्रमिक का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा तथा उक्त कटौतियों के प्रमाण स्वरूप उपापन संस्थान संबंधित मद के चालानों की प्रति की मांग करने पर उपलब्ध करानी होगी।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/जारी होने वाले दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना का दायित्व संवेदक का ही होगा तथा पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. यदि संवेदक एवं नियोजित श्रमिक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित

श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिये संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12. नियोजित श्रमिक को 190/240 दिवस पूर्ण किये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित, श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, कार्मिक को नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा इत्यादि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा उपापन संस्थान इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगी।
13. कार्य सम्पादन अवधि/अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य के संबंध/ संदर्भ में किसी भी प्रकार की जान-माल के नुकसान पर क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने, ई.एस.आई. क्लेम दिलाने, समूह दुर्घटना बीमा क्लेम इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा तथा इसके लिये उपापन संस्थान जिम्मेदारी नही होगी।
14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नियोजित श्रमिक को नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्थान को प्राप्त होती है तो उपापन संस्थान इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक की Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
15. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना विभागीय अधिकारी को लिखित में ठेकेदार/संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नही किया जायेगा।
16. किसी कार्य दिवस पर नियोजित कामगार की अनुपस्थिति रहने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी/संवेदक को तत्काल अन्य कामगार उपलब्ध करवाना होगा जिसके लिये संवेदक ऐजेन्सी को किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
17. किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय निगम, बोर्ड, पंचायत आदि से संबंधित समस्त प्रकार की फीस/पैनल्टी/शास्ति हेतु उपापन संस्थान उत्तरदायी नही होगा।
18. उपापन संस्थान बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना किसी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्गम से पूर्व/पश्चात किसी भी समय समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है तथा संवेदक को मान्य होगा।
19. सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर निविदा स्वीकृति/कार्यादेश की दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में एक करार पत्र राशि रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कराना होगा। तथा उसे नोटरी द्वारा प्रमाणित करा कर कार्यालय को प्रस्तुत कराना होगा।
20. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में प्रकरण पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो विवाद के लिये एक मात्र माध्यम के रूप में स्वयं अथवा विभाग के सक्षम अधिकारी को नियुक्त करेगा। वह अधिकारी इस संविदा से संबंधित नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के बाध्यकारी होगा। तथा इस

निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्याय क्षेत्र अजमेर शहर होगा।

21. कार्य की अवधि कार्यादेश तिथि से 31.03.2027 तक के लिये मान्य होगी। जिसे आगे भी आपसी सहमती से बढ़ाया जा सकेगा। अवधि बढ़ाने व घटाने का अधिकार प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर का होगा।
22. स्थाई कार्मिक उपलब्ध होने की दशा में ठेका/अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
23. किसी संवेदक द्वारा गलत/मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर कार्यादेश/अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा एवं संवेदक को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा।
24. अन्य शर्ते व प्रावधान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसार लागू होगें।
25. निविदा प्रपत्र मूल रूप से समस्त प्रपत्रों सहित प्रस्तुत करना आवश्यक है।
26. संवेदक द्वारा नियोजित कामगार को साप्ताहिक अवकाश की सुनिश्चितता स्वयं करनी होगी तथा अवकाश तिथियों कार्य करने पर न्युनतम दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।
27. सफल निविदादाताओं को कार्यादेश जारी होने पर सात दिवस के भीतर निविदा राशि का 5% प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रुप में जमा करानी होगी, जो ई–ग्रास, बैंक ड्राप्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक गारन्टी स्वरुप प्रस्तुत की जा सकेगी।
28. कार्य संतोषजनक नही होने/कार्य यथा समय पर संपादित नही करने आदेशों की अवहेलना पर संवेदक के बिल से नियमानुसार शाश्ती कटौती की जायेगी। अथवा अन्य दण्डात्मक कटौती भी की जा सकेगी।
29. सफाई व्यवस्था के संबंध में शिड्यूल जी अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदा दाता

दिनांकः

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजेमर

शपथ–पत्र

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 30 तक को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा इन समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुए इनकी पूर्ण पालना हेतु सहमत हूँ/हैं तथा इनका निष्ठा पूर्वक पूर्ण पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

हस्ताक्षर निविदा दाता

Annexure-1

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is to certify that the average annual turnover of M/s. ....
Address ....
....
....
....for the three financial year.

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remark
1.	2022-23		
2.	2023-24		
3.	2024-25		

In supply of regarding work was :-

Date :

Signature of the Auditor/Seal
Chartered Accountant
(name and Address)

Place :

Tel No. :-
Mob. No. :-

Annexure-2

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते है कि मैनें/हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या .... दिनांक .... है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर सकेगा।

दिनांकः

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

Annexure-3

निविदादाता की घोषणा

(राशि रु. 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो को मैनें/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

शिड्यूल-जी

जॉब बेसिस सेवा कार्य की प्रकृति	वांछित कामगार का प्रकार व संख्या	जॉब बेसिस कार्य का विवरण	जॉब बेसिस सेवा कार्य का औचित्य	शैक्षणिक अहर्ता
स्वीपर कार्य	अकुशल (1) पुरूष	1.संस्थान के प्रशासनिक भवन कक्षा-कक्ष तथा छात्रावास में प्रतिदिन साफ-सफाई/झाड़ू-पौछा/धुलाई का कार्य करना 2.संस्थान के प्रशासनिक भवन व हॉस्टल में शौचालय व स्नानघर की प्रतिदिन टायलेट क्लिनर से सफाई करना। 3.माह में एक बार प्रशासनिक भवन व हॉस्टल की छतों की सफाई करना व जाले व कचरा हटाना। 4.संस्थान के भवनों की बॉलकनियों/दरवाजों/छज्जों/पंखें-ट्यूबलाईटों ताखों की माह में एक बार सफाई करना। 5.संस्थान के परिसर तथा मुख्य द्वार के बाहर सप्ताह में एक बार सफाई करना। 6.अन्य सफाई कार्य जो प्रभारी/संस्था प्रधान द्वारा निर्देशित किये जाने पर करना।	संस्थान व परिसर के सम्पूर्ण सफाई के कार्य हेतु प्रतिदिन 08 घण्टे काम करना होगा। (प्रात:08:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक)	साक्षर

नोट:-1. कामगार को स्वयं के खर्चे पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।

1. कामगार को संस्थान से भोजन सुविधा देय नही होगी।
2. चूंकि यह संस्थान राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें महिला प्रशिक्षु भी प्रतिभागी होने के कारण संवेदनशील संस्था है अत: नियोजित कामगार उच्च नैतिक, साफ सुथरी छवी कर्मठ एवं ईमानदारी पृष्ठभूमि का होना चाहिये उसका चारित्रिक उत्तरदायित्व संवेदक का होगा अत: नियोजित कामगार का पुलिस सत्यापन इत्यादि संवेदक अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ADG Police Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is DG Prisons, Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No......................of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :...
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :..
   ....
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature
अनुलग्नक 'द'

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i.If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii.If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii.If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail,unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specifiedpercentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)